कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जालोर

–:: कार्यालय आदेश ::–

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राज0,बीकानेर स्तर पर अनुमोदनापरान्त निम्न शर्तो के आधार पर गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विधालयों को सत्र 2010–11 से माध्यमिक विधालय में कमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था अनुदान की मांग नही करेगा।
2. संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा।
3. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना करनी होगी।
4. संस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के मान्यता(सम्बद्वता) सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी।
5. संस्था सत्र 2010–11 में कक्षा 9 वीं एवं सत्र 2011–12 में कक्षा 10 वीं प्रारम्भ करनी होगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही अविलम्ब कर दी जावेगी।
7. संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा।
8. संस्था द्वारा विधालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
9. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेंशो/नियमों/निर्देशों की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं वांछित सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
10. संस्था को मान्यता हेतु प्रपत्र 'क' तीन प्रतियों में भरकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा। एवं समय पर प्रपत्र 'क' भरकर प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षार्थियों के परीक्षा से वंचित रहने तथा विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिए संम्बन्धित संस्था ही जिम्मेदार रहेगी।
11. शहरी क्षैत्र में कक्षा 9वीं की छात्र संख्या 20 एवं छात्रा संख्या 15 से कम हो तो कक्षाएँ आरम्भ नहीं की जावें।
12. संस्था को प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करने हेतु हर वर्ष समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन करना होगा।
13. संस्था को अध्यापक/प्रार्थी की नियुक्ति विभागीय नियमान्तर्गत प्रकिया अपनाकर करनी होगी, जिसमें जिशिअ, माध्यमिक का प्रतिनिधि मनोनीत हो।
14. संस्था को प्रतिवर्ष भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
15. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर विधार्थियों से फीस ली जावें साथ ही विधालय समय चक,समय संचालन शिविरा कलेण्डर के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।
16. विधालय में कार्यरत अध्यापक/कार्मिक को विभागीय नियमानुसार वेतन भुगतान एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध करवानी होगी।

17\. कमोन्नत विधालयों को आदेश जारी होने की तिथि से दो माह के मध्य अथवा परीक्षा आवेदन पत्र भरने के एक माह पूर्व जो भी पहले बोर्ड से अस्थाई मान्यता हेतु प्रपत्र 'क' भरकर जमा करवा देंवे अन्यथा कमोन्नति आदेश जारी किये गये सत्र के लिये प्रभावी नही होंगे। दो माह के बाद विलम्ब शुल्क भी बोर्ड को देना होगा।

क0स0	जिला	विधालय का नाम	मान्यता का स्तर	माध्यम
1	जालोर	डिवाईन इन्टरनेशनल स्कूल,सांचौर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक	अग्रेंजी

निरीक्षण दल द्वारा लगाये आक्षेंपो की पूर्ति निश्चित समय अवधि में पूर्ण करनी होगी। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति,भवन सम्बंधी आक्षेंपो की पूर्ति,प्रबन्ध समिति संबधी आक्षेंपो की पूर्ति करने की शर्त पर मान्यता दी जाती है।

sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) जालोर

क्रमांक :जिशिअ / मा / जा / मान्यता / 2010 / 3414 दिनांक : 19-5-2010

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् उपशासन सचिव,शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग,राज0 सरकार जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राज0,बीकानेर।
3. सचिव,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर।
4. उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर।
5. गैर-सरकारी विधालय डिवाईन इन्टरनेशनल स्कूल, सांचौर।
6. रक्षक पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) जालोर